

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश

संख्या- १३०/१/ई-३/२०१९-२०

प्रयागराज, दिनांक: १० मार्च, २०२१

विज्ञप्ति

उ०प्र० सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा-२०१९ का अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जा चुका है। निम्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन (मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों से) कराये जाने हेतु दिनांक १५ व १६ मार्च, २०२१ निर्धारित किया गया है:-

१- ACCOUNTS & AUDIT OFFICER, MANDI PARISHAD

482688, 339359, 093526, 074532, 183356, 207875,
210318, 324987, 448188, 161714

२- LEGAL OFFICER, P.W.D.

129916, 453494, 332208, 071564, 351237, 244477,
330923, 316995, 408334, 162739, 360614, 131639,
470730, 388310, 231441, 323396, 298813, 079428

३- LEGAL OFFICER, GEO & MINNING

508172

४- SR. SUGAR CANE DEVELOPMENT INSPECTOR

064770, 212501, 477271, 309752, 358022, 312573,
125101, 354567, 333354, 339171, 492255

५- VETINARY WELFARE OFFICER

175041, 328225, 237748, 373045, 040823, 431859,
159229, 535977, 113465, 089599, 146891

२. अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट <http://uppsc.up.nic.in> के 'Home Page' पर 'Click here for download form-set of PCS Exam. 2019' पर Click करके Registration no. & Basic Details (जन्म तिथि, लिंग, निवास, श्रेणी इत्यादि) Submit करके पूर्व में भरे गये ऑनलाइन फार्म सेट (आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र, देशना प्रपत्र व अंकतालिका विवरण) को मुद्रित करके उसके साथ समस्त शैक्षिक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों को दो सेट तैयार कर उस फार्म सेट के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो की दो प्रति तथा तीन आवक्ष सादी फोटो अर्थात कुल ०५ फोटो सहित नियत तिथि को पूर्वाह्न में ११.०० बजे आयोग परिसर प्रयागराज में गेट नं०-३ से प्रवेश करके सरस्वती भवन में पहुँचना सुनिश्चित करें। सत्यापन के समय शैक्षिक अर्हताओं से संबंधित समस्त अंकतालिकाओं/उपाधि एवं प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ भी अपने साथ अवश्य लाएं।

उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को सत्यापन के समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-

(क) उ०प्र० के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दावे के समर्थन में निर्धारित नवीनतम प्रारूप पर जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र/EWS/अन्य प्रमाण-पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ख) केन्द्र अथवा राज्य सरकार में कार्यरत अभ्यर्थी को सेवायोजक द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र मूल रूप में।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों के अभाव में अभ्यर्थियों का सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं होगा। तदनुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(अरविन्द कुमार मिश्र)
परीक्षा नियंत्रक